

भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  
राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 2706

मंगलवार 17 मार्च, 2020 को उत्तर देने के लिए  
अनुसंधान और विकास क्षेत्र में स्त्री-पुरुष असंतुलन

2706. श्री संजय सिंह:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारतीय अनुसंधान और विकास में कुल कार्यबल में से मात्र 15 प्रतिशत महिलाएं हैं जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है;
- (ख) इस क्षेत्र में इस विशाल स्त्री-पुरुष असंतुलन के क्या कारण हैं; और
- (ग) उभरती महिला वैज्ञानिकों को प्रयोग की बेहतर सुविधा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री  
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 39,389 महिला वैज्ञानिक विविध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों की अनुसंधान और विकास गतिविधियों में प्रत्यक्षतः नियोजित हैं। इन संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों की कुल संख्या में इनका प्रतिशत 13.91 है। तथापि, छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान का अभाव स्त्री-पुरुष असंतुलन का वास्तविक कारण नहीं है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) क्षेत्र में बृहत स्त्री-पुरुष असंतुलन के पीछे बहुत-से कारण हैं। ये कारण पारिवारिक मुद्दों जैसे शादी, पारिवारिक दायित्व, जीवनसाथी के स्थानान्तरणीय रोजगार के कारण पुनर्स्थापना आदि से मुख्यतः जुड़े हैं। इनमें से कुछ कारणों के परिणामस्वरूप उच्चतर शिक्षा से ड्रॉपआउट होने, करियर में व्यवधान होने, वैज्ञानिक नौकरियों के लिए आयुसीमा समाप्त हो जाने और कार्यस्थल से दीर्घकालीन अनुपस्थित रहने अथवा नौकरी से त्यागपत्र देने की घटनाएं हो जाती हैं।

(ग) सरकार के पास उभरती हुई महिला वैज्ञानिकों को प्रयोग सुविधा केंद्र और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम हैं। महिला विश्वविद्यालयों में अवसंरचना और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा केंद्र विकसित करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के पास एक समर्पित कार्यक्रम है जिसे 'महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (क्यूरी)' कहा जाता है। डीएसटी के अन्य कार्यक्रम अग्रलिखित हैं:- विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में एस एंड टी अवसंरचना सुधार निधि (फिस्ट), विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन (पर्स), परिष्कृत विश्लेषणात्मक यंत्र सुविधा (सैफ) जो शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करती है। फिस्ट की व्यापकता से देश के अधिकांश राज्यों में लगभग 56 महिला स्नातकोत्तर पीजी कॉलेजों को लाभ प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, डीएसटी के पास उदीयमान महिला वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान संवर्धन में ज्ञान की सहभागिता (किरण)" योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम हैं। किरण के तहत 'महिला वैज्ञानिक योजना (डब्ल्यूओएस)' बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों, विशेष रूप से जिनके करियर में व्यवधान था, को अध्येतावृत्ति सहित कैरियर के अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में महिलाओं के लिए भारत-अमेरिका अध्येतावृत्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रमुख संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान करने के लिए महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रोत्साहित करती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कक्षा 9-12 की छात्राओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अल्प है, में शिक्षा और कैरियर को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना "विज्ञान ज्योति" भी शुरू की है। 2019-20 के दौरान, देश के 50 जिलों में विज्ञान ज्योति का चरण -1 शुरू किया गया है।

जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'जैव प्रौद्योगिकी कैरियर संवर्धन और पुनरभिव्यक्त कार्यक्रम (बायोकेयर)' भी लागू कर रहा है। इसी तरह, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का भी महिला वैज्ञानिकों के लिए 'जैवचिकित्सीय अनुसंधान करियर कार्यक्रम' है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में भी उदीयमान महिला वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'महिला डाक्टरोत्तर अध्येतावृत्ति' है।